

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम, जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

13/24 वकील फरकाराग लागि। अर्थात् नं. 2  
अस्थापित निषेधाज्ञा निरस्त करने के ल. पर 029 R2  
151 CP 2 पर बहस हुई की विस. फरवरी 2020  
अदालत को पर 029 R2-151 CP 2 हेतु कि कि  
जापसुकी भेजा है।

जापसुकी वकील फरकाराग लागि। अदालत को  
जापसुकी काया अर्थात् के अदालत के ल. पर  
029 R2-151 CP 2 प्रस्तुत कर विवेक किया  
कि अर्थात् के द्वारा न्यायालय के अदालत दिनांक  
27-7-2020 को पालन नहीं की गई है अस्थापित  
निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावनी। एतद्वारा  
उक्त अदालत कि अंकित किया गया। अर्थात्  
के अदालत का उक्त मोड़ की पालन  
आज तक नहीं की गई। एतद्वारा अर्थात् के अर्थात्  
सं 2 का अ. पर एकीकृत किया कावद कि कि  
27/7/2020 को जारी अस्थापित निषेधाज्ञा  
को इसी तरह कार्रवाई किया जा रहा है।  
प्रभावली नकिल हो कर गुरुवार को  
किए है। अ. पर मूल काउ के साथ सलाह  
निकाल बुले न्यायालय के अस्थापित

उपस्थित  
साया 10-11-20

